

इन्द्राज दुरुस्ती
(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

गंगापूर सिटी

विषय: जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम तहसिल के खाता संख्या 87

में इन्द्राज दुरुस्ती बाबत ।

प्रार्थी: - केलाश पिता गवळण जाति बैरवा

महोदय

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम तहसिल के खाता संख्या 87 में प्रार्थी के पिता मत्त का नाम/जाति/हिस्सा चमार अंकित है। अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी मत्त की नाम/जाति/हिस्सा बैरवा शुद्ध करवाना चाहता है। हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी के पिता मत्त का नाम/जाति/हिस्सा बैरवा दर्ज किया जाना उचित है।

अभि. निरीक्षक
हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक

पटवारी
हस्ताक्षर पटवारी

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापूर सिटी

क्रमांक 5242

दिनांक 6-11-25

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि जाति - चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर जाति - बैरवा दुरुस्त करने की अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार(भू.अ.)
गंगापूर सिटी (संभा०)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापूर सिटी की अभिशंका के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ग्राम सहजपुर तहसील गंगापूर सिटी जिला संभा० की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 में खाता संख्या 87 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि जाति - चमार के स्थान पर जाति - बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (राज०)

कार्यालय
07-11-25

7/37

17/11/25

163

17/11/25

2025

5/11

3103

3103

07/11/25

07/11/25